

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(1)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 09-12-2011

आज्ञा

श्री लियाकत अली खान, अध्यक्ष, राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर को अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक: निस/प्रशास/अ0मा0वि0/2011/973 दिनांक 30.11.2011 के क्रम में राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री लियाकत अली खान को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण करने की तिथि से सुविधायें देय होंगी।

अध्यक्ष, राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय अल्पसंख्यक मामलात विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,

  
(डॉ अरुण जैन)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
- 2- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मामलात विभाग
- 3- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
- 4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
- 6- समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
- 7- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 8- समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलैकटर।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
- 10- विधायिक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
- 11- निजी सचिव, मुख्य सचिव
- 12- आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
- 13- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 14- नियंत्रक, स्टेट मोटर गैरोज, जयपुर।
- 15- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्टर जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।

  
शासन उप सचिव